रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 935] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 28, 2019/फाल्गुन 9, 1940
No. 935] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 28, 2019/PHALGUNA 9, 1940

IndiaCode

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2019

का.आ. 1069(अ).—जबकि जमात-ए-इस्लामी, जम्मू और कश्मीर (जिसे इसमें इसके पश्चात् **'जेईआई'** कहा गया है) ऐसी गतिविधियों में संलिप्त रहा है, जो आंतरिक सुरक्षा और लोक व्यवस्था के लिए हानिकारक हैं और जिनमें देश की एकता और अखंडता को भंग करने का सामर्थ्य है;

और, केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि:—

(i) जेईआई आतंकवादी संगठनों के निकट सम्पर्क में है और यह जम्मू और कश्मीर तथा अन्यत्र उग्रवाद और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है;

(ii) जेईआई भारत से एक भूभाग को अलग करने के दावों का समर्थन कर रहा है और इस उद्देश्य से भारत की क्षेत्रीय अखंडता को भंग करने वाली गतिविधियों और कार्यों में शामिल होकर इस उद्देश्य के लिए लड़ने वाले आतंकवादी और अलगाववादी समूहों को समर्थन दे रहा है;

(iii) जेईआई नफरत फैलाने के इरादे से देश में राष्ट्र-विरोधी और विध्वंसकारी गतिविधियों में शामिल है ।

और जबकि, केन्द्रीय सरकार का यह भी मत है कि यदि जेईआई की गैरकानूनी गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगाया गया और तत्काल इसे नियंत्रित नहीं किया गया, तो इसकी संभावना है कि:—

(क) यह कानून द्वारा स्थापित सरकार को अस्थिर करके भारत संघ से एक इस्लामिक राज्य बनाने के प्रयास सहित, अपनी विध्वंसकारी गतिविधियों को बढ़ाएगा;

(ख) यह भारत संघ के साथ शामिल होने के संबंध में विवाद उत्पन्न करके भारत संघ से जम्मू और कश्मीर राज्य को अलग करने का समर्थन करता रहेगा;

(ग) यह देश की एकता और सुरक्षा के लिए हानिकारक राष्ट्र-विरोधी और अलगाववादी भावनाओं का प्रचार करेगा; और

(घ) यह देश में अलगाववादी आन्दोलनों को बढ़ावा देगा, आतंकवाद का समर्थन करेगा और हिंसा को भड़काएगा ।

और, केन्द्रीय सरकार का यह भी मत है कि जेईआई की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, जेईआई को तत्काल प्रभाव से एक विधिविरुद्ध संगम घोषित किया जाना आवश्यक है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जमात-ए-इस्लामी (जेईआई), जम्मू और कश्मीर को एक "विधिविरुद्ध संगम" घोषित करती है और यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन जारी किए जाने वाले किसी भी आदेश के अध्यधीन राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी ।

[फा. सं. 14017/5/2019-एन.आई.-III]

एस. सी. एल. दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2019

S.O. 1069(E).—Whereas the Jamaat-e-Islami, Jammu and Kashmir (hereinafter referred to as the JeI) has been indulging in activities, which are prejudicial to internal security and public order, and have the potential of disrupting the unity and integrity of the country;

And whereas, the Central Government is of the opinion that:—

(i) JeI is in close touch with militant outfits and is supporting extremism and militancy in Jammu and Kashmir and elsewhere;

(ii) JeI is supporting claims for secession of a part of the Indian territory from the Union and supporting terrorist and separatist groups fighting for this purpose by indulging in activities and articulations intended to disrupt the territorial integrity of India;

(iii) JeI is involved in anti-national and subversive activities in the country intended to cause disaffection.

And whereas, the Central Government is further of the opinion that if the unlawful activities of JeI are not curbed and controlled immediately, it is likely to:—

(a) escalate its subversive activities including attempt to carve out an Islamic State out of the territory of Union of India by destabilising the Government established by law;

(b) continue advocating the secession of the State of Jammu and Kashmir from the Union of India while disputing the accession of the State with the Union;

(c) propagate anti-national and separatist sentiments prejudicial to the integrity and security of the country; and

(d) escalate secessionist movements, support militancy and incite violence in the country.

And whereas, the Central Government is also of the opinion that having regard to the activities of the JeI, it is necessary to declare the JeI to be an unlawful association with immediate effect;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Jamaat-e-Islami (JeI), Jammu and Kashmir as an "unlawful association" and directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect for a period of five years from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 14017/5/2019-NI-III]

S. C. L. DAS, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.02.28 21:25:47 +05'30'